उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 अंक 1 1-15 जनवरी 2023 ₹ 20/-

संघ प्रमुख के इंटरव्यू पर उर्दू अखबारों की प्रतिक्रिया

- सर्वोच्च न्यायालय में धर्मांतरण कानून को चुनौती
- पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में तनाव
- इजरायल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव
- ट्यूनीशिया में आतंकवाद के आरोप में महिलाओं को सजा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

संघ प्रमुख के इंटरव्यू पर उर्दू अखबारों की प्रतिक्रिया 04
समान नागरिक संहिता के लिए गठित कमेटियों के खिलाफ याचिका रद्द 11
लक्षद्वीप के सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द 13
सर्वोच्च न्यायालय में धर्मांतरण कानून को चुनौती 13
मुसलमानों के साथ भेदभाव की खबरों का खंडन 15

विश्व

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में तनाव 18
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति 20
अमेरिका में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान 21
चीनी कंपनियों द्वारा बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट 22
काबुल में धमाका 23

पश्चिम एशिया

ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा 24
इजरायल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव 25
सऊदी युवराज अरब जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित 26
सूडानी सेना की राजनीति में भाग न लेने की घोषणा 27
दमिश्क हवाई अड्डे पर इजरायली हमला 28

अन्य

ट्यूनीशिया में आतंकवाद के आरोप में महिलाओं को सजा 29
यूरोपीय यूनियन में सऊदी अरब की महिला राजदूत नियुक्त 29
दुबई में भारतीय नागरिक की ईमानदारी 30
मुस्लिम तलाकशुदा महिला को ताउम्र गुजारा भत्ता लेने का अधिकार 30
नेत्रहीनों के लिए कुरान ब्रेल लिपि में 30

सारांश

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी संबंध दिन-प्रतिदिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही हैं, उनका संचालन अफगानिस्तान से होता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि हाल ही में पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी ने भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने का गंभीर आरोप लगाया है। कमेटी ने कहा है कि अफगान सरकार ने दोहा संधि में यह वायदा किया था कि वह अपनी भूमि का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगी। यह वायदा उसने पूरा नहीं किया है।

अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि पाकिस्तान के शासक अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। रोचक बात यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है और कहा है कि पाकिस्तान को अपनी रक्षा के लिए अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।

हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पाञ्चजन्य और ऑर्गेनाइजर को एक विस्तृत इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने मुसलमानों के बारे में जो बयान दिया था, उस बयान को उर्दू के लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ हीं, इन अखबारों ने विपक्षी नेताओं द्वारा भागवत की आलोचना किए जाने को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इन अखबारों ने अपने संपादकीय में संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों से संबंधित बयान की कड़ी आलोचना की है।

एक उर्दू अखबार ने बांग्लादेश राष्ट्रीय हिंदू महाजोत के महासचिव गोविंद चंद्र प्रमाणिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस हिंदू नेता ने यह आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हाल ही में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। उनके उपासना स्थलों को कट्टरपंथी अपना निशाना बना रहे हैं और उनमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदुओं और आदिवासियों की भूमि पर जबरन किया जा रहा है और उन्हें विस्थापित करके बांग्लादेश से पलायन करने पर विवश किया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में भी भारी वृद्धि हुई है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ पत्रकार एम.जे. अकबर ने उर्दू अखबार इंकलाब के संपादक वदूद साजिद को दिए अपने विस्तृत इंटरव्यू में यह दावा किया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में मुसलमानों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं शुरू की है, उसका लाभ मुसलमानों को भी समान रूप से मिल रहा है। अकबर ने शिकायत की कि मुसलमानों ने पिछले साठ वर्षों से जिस पार्टी को अपना वोट देकर सत्ता सौंपी, उसने मुसलमानों के उत्थान के लिए कोई कदम नही उठाया। इसकी वजह से मुसलमानों की हालत बद-से-बदतर होती चली गई। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है और शिक्षित मुसलमानों को निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।

राष्ट्रीय

संघ प्रमुख के इंटरव्यू पर उर्दू अखबारों की प्रतिक्रिया

हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य और ऑर्गेनाइजर को एक विस्तृत इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में संघ प्रमुख ने मुसलमानों से संबंधित जो बयान दिए, उससे विपक्षी नेता और उर्दू अखबार तिलमिला उठे हैं। उर्दू अखबारों ने संपादकीय लिखकर मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला है।

इंकलाब (12 जनवरी) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारतीय मुसलमानों से संबंधित जो बयान दिया है, उस पर कांग्रेस, शिवसेना, सीपीआईएम, असदुद्दीन ओवैसी और कपिल सिब्बल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उनके बयान को देश के भविष्य के लिए खतरा और संविधान के विपरीत करार दिया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत ने हाल ही में पाञ्चजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें श्रेष्ठता की भावना को त्यागना होगा। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। अगर वे अपनी आस्था पर कायम रहना चाहते हैं, तो रहें और अगर अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहें तो आ सकते हैं। यह पूर्ण रूप से उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। हिंदुओं में ऐसी कोई जिद्द की भावना नहीं है।

मोहन भागवत ने कहा कि अतिवादी ईसाई कहते हैं कि पूरी दुनिया को ईसाई बना देंगे और जो नहीं बनेंगे, उन्हें हमारी दया पर रहना होगा या फिर मरना होगा। अतिवादी मुसलमान भी यही दृष्टिकोण रखते हैं। मगर हिंदू ऐसा कभी नहीं कहता कि सबको हिंदू धर्म मानना ही होगा। यह हमारा दृष्टिकोण नहीं है। हमारा दृष्टिकोण सिर्फ यही है कि हम सब लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करें। सबसे बात करें। जिसको अच्छा बनना है वह हमारा अनुसरण करे। अगर वह हमारा अनुसरण नहीं करता है, तो भी हम उनके खिलाफ नहीं हैं। साथ ही मोहन भागवत यह भी कहते हैं

कि इन सब लड़ाईयों में अब हम मजबूत हो गए हैं और वे हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वर्तामान हालात में हिंदू बहुत मजबूत हैं।

मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। हिंदू इस देश में रहेगा। वह कहीं नहीं जाएगा। अब हिंदू जागृत हो गया है और इसका इस्तेमाल करके हमने आपसी लड़ाई में विजय प्राप्त कर ली है। आज हम ताकत की हालत में हैं। अगर आज नहीं तो 50 वर्ष के बाद भी हमें यही करना होगा।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण देश के भविष्य के लिए खतरा है। मोहन भागवत कौन होते हैं, जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने और अपने धर्म का अनुसरण करने की अनुमति देते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि, अल्लाह ऐसा ही चाहता है। भागवत की हिम्मत कैसे हुई कि वे हमारी नागरिकता पर शर्त लगाएं। हम इस देश में अपनी आस्था को एडजस्ट करने या नागपुर के एक ग्रुप को खुश करने के लिए नहीं रह रहे हैं। कोई भी सभ्य समाज धर्म के नाम पर इस तरह की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या 20 करोड़ से भी ज्यादा है। चुनाव जीतने के लिए बार-बार अगर हिंदू-मुस्लिम करते रहेंगे, तो यह देश टूट जाएगा और एक बार फिर देश के विभाजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। संजय राउत ने अपने ट्वीट में कहा है कि आप लोगों के मन में भय पैदा करके ज्यादा देर तक राजनीति नहीं कर सकते। अगर मोहन भागवत ने इस बिंदु को सामने रखा है, तो भाजपा को इस पर विचार करना चाहिए। मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि भागवत जी, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। इस बात पर मैं सहमत हूं। लेकिन इंसान को भी इंसान ही रहना चाहिए।

सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने कहा है कि संघ प्रमुख का बयान संविधान के खिलाफ, आपत्तिजनक और उत्तेजक है। अदालत को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि संघ प्रमुख भारत में रहने का स्तर तय करेंगे। मोहन भागवत और उनके हिंदुत्व ब्रिगेड को संविधान पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से अनुच्छेद 14 या 15, जिसके अनुसार इस देश के हर नागरिक को बिना धर्म का लिहाज किए समान अधिकार प्राप्त हैं। करात ने कहा कि संघ के पूर्व प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर ने कहा था कि अगर मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं, तो उन्हें आज्ञाकारी बनना होगा। संघ के वर्तमान प्रमुख भी इसी सोच को लादना चाहते हैं।

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि हालांकि, आरएसएस के प्रमुख कभी-कभी अच्छा बयान जरूर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सरकार उनके बयान की भावना के खिलाफ काम करती है। हम इतिहास के पन्नों को फाड़ नहीं

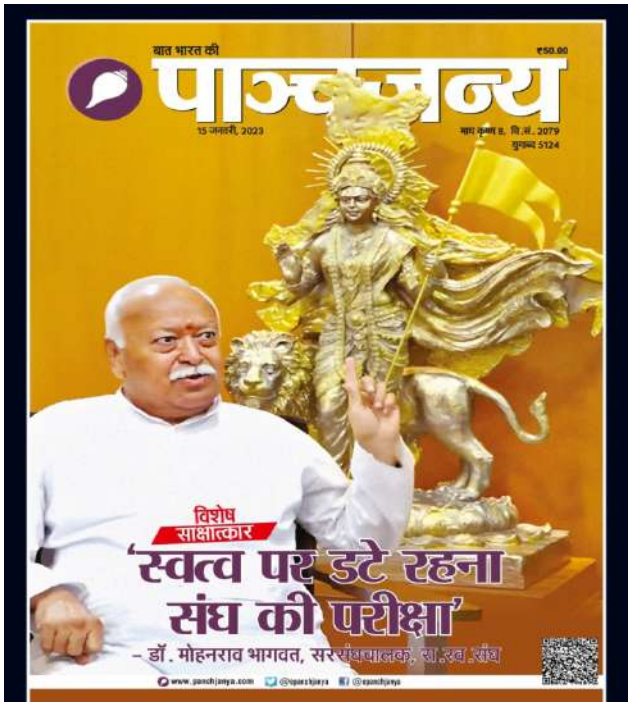

सकते हैं। अगर इस देश पर अशोक, हुमायूं और अकबर ने राज किया है, तो इस तथ्य को मिटाया नहीं जा सकता। जिंदा कौमें कभी इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करतीं। इसलिए यह कहना गलत है कि क्योंकि, इस देश पर पहले मुसलमानों का शासन रहा है, इसलिए मुसलमान श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त हैं। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और देश के सभी संस्थानों और महत्त्वपूर्ण पदों पर बहुसंख्यक समाज के लोग बैठे हुए हैं। चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो या सेना प्रमुख। ये सभी बहुसंख्यक समाज के हैं। मगर इसके बावजूद मोहन भागवत यह कहते हैं कि मुसलमान श्रेष्ठता की भावना त्याग दे। तो मुसलमानों में यह भावना है कहां?

अल्वी ने कहा कि सच्चाई यह है कि आपलोग मुसलमानों को जूनियर भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं अदब से कहता हूं कि आप हमें छोटा भाई मानें। मगर छोटा भाई भी प्यार और मोहब्बत की आशा करता है। लेकिन, बड़े भाई की हालत तो यह है कि वह कभी हमें बुलडोजर से डराता है और कभी पाकिस्तान भेजने की धमकी देता है और कभी कहता है कि चुनाव होने दो हम गर्मी निकाल देंगे। इस तरह का रवैया किसी बड़े भाई का नहीं हो सकता। पहले आप बड़ा भाई बनकर तो दिखाएं। हम छोटा भाई बनने को तैयार हैं। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा। इसको कार्यान्वित करने की भी जरूरत है।

सालार (12 जनवरी) के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के. रहमान खान ने कहा है कि मोहन भागवत के बयान में काफी विसंगतियां हैं। हकीकत यह है कि मुसलमानों ने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया है कि वे श्रेष्ठ हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा समता का ही संदेश दिया है और समता ही इस्लाम की बुनियाद है। इस देश के मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इसकी सीख हमें मोहन भागवत से लेने की जरूरत नहीं है। इस देश के संविधान ने सभी देशवासियों को समान अधिकार दिए हैं और मुसलमान इसके पाबंद हैं। वे सबको अपने बराबर मानते हैं। किसी को अपने से श्रेष्ठ या नीचा नहीं। अगर कोई आदमी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है तो वह संविधान की भावना का उल्लंघन करता है।

रहमान खान ने कहा कि चुनाव की आहट शुरू होते ही शासक वर्ग की ओर से धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू शांतिप्रिय है और यह जरूरी नहीं है कि धार्मिक कट्टरता और नफरत का एजेंडा हर बार सफल हो जाए। आज के शासक इस देश की मूल समस्याओं की उपेक्षा करके धर्म के नाम पर जनता को भड़का रहे हैं।

हमारा समाज (12 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोहन भागवत अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इससे

पहले उन्होंने एक मदरसे में हाजिरी दी थी और मौलाना उमेर इलियासी से मुलाकात की थी। लेकिन अब उनका एक और बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ताजा बयान में उन्होंने मुसलमानों के बारे में जो कुछ कहा है वह सच्चाई से बहुत दूर है। बहस यह शुरू हो गई है कि देश के मुसलमानों में जिस तरह का भय का वातावरण बनाया जा रहा है, उसकी हकीकत से इंकार क्यों किया जा रहा है और उसे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? इसके गवाह न सिर्फ मुसलमान हैं, बल्कि पूर्व उच्चाधिकारी और बुद्धिजीवी भी हैं, जोकि समय-समय पर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने और हिंदुओं को उकसाने वाले बयान जारी करने वालों पर अभी तक कोई लगाम क्यों नहीं लगाई गई?

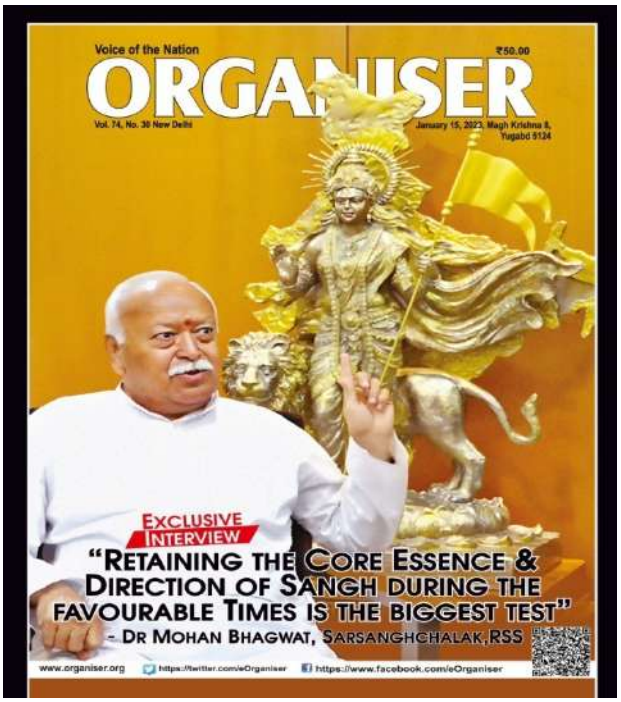

समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि मुसलमानों में यह विश्वास कैसे पैदा हो, जिसके आधार पर वे कह सकें कि मुसलमान इस देश में बेखौफी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि पिछले सात-आठ वर्षों में मुसलमानों में यह खौफ कई गुना बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों से मजिस्दों, मदरसों, खानगाहों और मुसलमानों से संबंधित इमारतों पर बहुसंख्यकों के दावों की बाढ़ आ गई है। पुलिस का रवैया एकतरफा होता है। इसके कारण क्या मुसलमानों में संतोष हो सकता है? सेक्युलर वर्ग का कहना है कि मोहन भागवत को यह सवाल उन लोगों से करना चाहिए, जो लव जिहाद, लिबास से पहचानने और विदेशी होने का ताना देकर मुसलमानों में बेचैनी पैदा कर रहे हैं।

रोजनामा सहारा (12 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान पर गत आठ-दस वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के परदे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परोक्ष रूप से शासन कर रहा है। संघ की मंजूरी के बाद ही सरकार कोई फैसला करती है और उसे लागू करने की कार्रवाई करती है। कुछ लोगों के अनुसार यह दावा बेबुनियाद हो सकता है, लेकिन दुनिया भाजपा और आरएसएस को एक ही समझती है। सरकार भी बार-बार यह सिद्ध कर चुकी है कि संघ की मंजूरी के बिना सरकार का एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। सरकार का काम सिर्फ इतना है कि वह संघ के दिए हुए एजेंडे को लागू करे और इसके बताए हुए रास्ते पर चलकर तयशुदा लक्ष्य के तहत हिंदू राष्ट्र का सफर तय करे। अब तक इस सफर में हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन, अब संघ ने हिंदू राष्ट्र के सफर को आक्रामक बनाने का फैसला कर लिया है।

समाचारपत्र का कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को योद्धा करार देते हुए कहा है कि एक योद्धा का आक्रामक होना

स्वाभाविक है। अर्थात्, अगर हिंदू आक्रामक होता है तो यह स्वाभाविक है। इस पर न तो कोई बांध बांधा जा सकता है और न ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पाञ्चजन्य को दिए एक लंबे इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क का हिंदू समाज पिछले एक हजार वर्ष से युद्ध की हालत में है। इन पर यह युद्ध थोपा गया है। हिंदू एक योद्धा के तौर पर एक हजार वर्ष से दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है। यह युद्ध विदेशी हमले और विदेश से आने वाली साजिशों के खिलाफ जारी है। संघ ने हिंदू समाज के इस संघर्ष का समर्थन किया है। संघ के कार्यक्रमों से हिंदू समाज में जागृति आई है।

संपादकीय में कहा गया है कि मोहन भागवत के बयान से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हिंदू समाज आजादी के इस अमृतकाल में किसके खिलाफ जंग कर रहा है और उसका दुश्मन कौन है? लेकिन, इस इंटरव्यू में छिपे हुए संकेत बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर युद्ध हो तो दुश्मन को समझना पड़ता है। दुश्मन को दिमाग में रखकर काम करना होता है। यह समझना होता है कि हम क्या हैं और हमें अब क्या करना है। उन्होंने मुगलों के खिलाफ शिवाजी का उदाहरण पेश करते हुए कहा है कि हिंदुओं को शिवाजी की नीति पर अमल करना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि शिवाजी महाराज की नीति क्या थी? वे दुश्मन के बारे में जानते थे। लेकिन, वे अपने बारे में भी अवगत थे कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है।

मोहन भागवत ने अपने इंटरव्यू में मुसलमानों को कुछ शिक्षाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। अगर वे अपने धर्म पर कायम रहना चाहते हैं, तो वे रह सकते हैं। अगर वे अपने पूवजों के धर्म में वापस आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत। यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। मगर उन्हें यह धारणा बदलनी होगी कि उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें यह सोच भी समाप्त करनी होगी कि उन्होंने इस देश पर शासन किया है और वे पुनः इस देश पर शासन करेंगे।

मोहन भागवत ने अपने इंटरव्यू में हिंदुओं को उकसाने और उत्तेजना में आकर हथियार उठा लेने का भी उल्लेख किया है। मोहन भागवत ने खुलकर कहा है कि जब पहला आक्रांता सिकंदर भारत आया था, तो उस समय से लेकर अब तक विभिन्न लोगों ने हिंदू समाज को एक और लड़ाई से सतर्क किया है। यह लड़ाई बाहर से नहीं अंदर से है। हिंदुओं की रक्षा के लिए मोहन भागवत और आरएसएस की यह चिंता कौन सा नया गुल खिला सकती है, इसकी कल्पना करना कठिन है। मगर भागवत के इस बयान से यह भय उभरने लगा है कि देश के विभिन्न भागों में होने वाली अतिवादी और सांप्रदायिक कार्रवाईयों में तेजी आएगी और सरकार इसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगी। क्योंकि, संघ के दृष्टिकोण के अनुसार यह पूर्णतः स्वाभाविक है। अगर ऐसा नहीं है और सरकार की अपनी कोई अलग मान्यता है, तो मोहन भागवत के इस इंटरव्यू और बयान का संविधान की भावना में विश्लेषण करे। इनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि, जनता यह कहती है कि आज परोक्ष रूप से हिंदुस्तान पर संघ का ही शासन है और सरसंघचालक का यह बयान सरकार के लिए एक फरमान है।

सालार ने (12 जनवरी) अपने संपादकीय में कहा है कि अमन की बात करते-करते एक बार फिर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने वही बात दोहराई है, जो हालात को सुधारने की बजाय दिलों में नफरत को बढ़ाती है। भागवत ने कहा है कि मुसलमान इस देश में खतरा महसूस न करें। लेकिन, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मुसलमान इस देश में अपने आपको किसी से श्रेष्ठ न समझें। मोहन भागवत इस देश

के उस संगठन के प्रमुख हैं, जिसे इस देश के संविधान पर कभी विश्वास नहीं रहा। इस देश के संविधान में सभी धर्मों को समान माना गया है और इसे इस देश की जनता ने स्वीकार किया है। लेकिन, कुछ ताकतें हमेशा इस कोशिश में रहीं कि देश में न्याय और समता के आधार पर बने संविधान को खत्म करके एक विशेष वर्ग का वचर्स्व स्थापित किया जाए और अन्य सभी वर्गों को दबाकर रखा जाए।

समाचारपत्र का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण देश के भविष्य के लिए खतरा है। मुल्क के लोग जितना जल्दी असली अंदरूनी दुश्मन को पहचान लेंगे, उतना ही बेहतर होगा। भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान को कोई बाहरी खतरा नहीं है। मगर संघ के लोग कई दशकों से अंदरूनी दुश्मनों और जंग के हालात का रोना रो रहे हैं। भागवत को यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस देश के मुसलमान संविधान के प्रति उत्तरदाई हैं, न कि संघ के प्रति। इस देश के संविधान ने हर नागरिक को यह आजादी दी है कि वह अपनी पसंद के अनुसर जिंदगी गुजार सकें। इसलिए भागवत, आरएसएस या उसके सहयोगी संगठनों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इस देश में मुसलमान या कोई भी वर्ग इनके रहमो-करम पर जी रहा है। और यह भी हमें हरगिज स्वीकार नहीं है कि आरएसएस या उसके संगठनों द्वारा मुसलमानों पर इस देश में रहने के लिए किसी तरह की शर्त रखी जाए। भागवत का ताजा बयान उनकी बदनीयती को बेनकाब करता है और वे इस देश में एक विशेष हिंदू वर्ग का वर्चस्व चाहते हैं। भागवत यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त पर। यह हमें हरगिज स्वीकार नहीं है। इस देश के मुसलमान भले ही किसी से श्रेष्ठ न हों, मगर वे किसी से कम भी नहीं हैं।

अवधनामा (13 जनवरी) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के बयान को निशाना बनाते हुए कहा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे किसी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले उसके बारे में गहराई से अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ सुनी-सुनाई बातों और कुछ लोगों की राय को संदर्भ बनाकर किसी धर्म के अनुयायियों को नसीहत देना न्यायसंगत नहीं है। सवाल यह है कि कौन हिंदुओं को देश से भगाने की बात कर रहा है और कौन आप से अपनी पहचान छीन लेने की बात कर रहा है।

इंटरव्यू में एक जगह भागवत ने कहा है कि हिंदू हमारी पहचान है, हमारी राष्ट्रीयता है। सबको साथ लेने की हमारी पद्धति है। तुम्हारी जगह तुम ठीक हो, मेरी जगह मैं ठीक हूं। हम झगड़ा क्यों करें, मिलकर क्यों नहीं चलें। यही हिंदुत्व है। कुरान भी तो यही कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। इसलिए आपका यह फर्ज बन जाता है कि आप वह बात करें जो शांति को स्थापित करे। एकता को बनाए रखे। नफरत और विरोध की बातें करना किसी के लिए उचित नहीं है। किसी दूसरे धर्म

को निशाना बनाना या परोक्ष रूप से धमकाना भी किसी के लिए उचित नही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 जनवरी) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस बार वे संघ की दो पत्रिकाओं पाञ्चजन्य और ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू दे रहे थे। क्योंकि, ये दोनों पत्रिकाएं उनके संगठन के मुखपत्र हैं, इसलिए मोहन भागवत से किसी ने सवाल जवाब करने या उनकी दलील को रद्द करने की कोशिश नहीं की है। अगर मोहन भागवत से कोई निष्पक्ष पत्रकार या अखबार इंटरव्यू करता तो उनकी इस एकपक्षीय दावे पर सवाल जरूर उठाता। लेकिन, मोहन भागवत क्योंकि इस बात को भलीभांति जानते थे, इसलिए वे अपने ही संगठन की पत्रिकाओं को इंटरव्यू देते हैं या उन पत्रकारों से बातचीत करते हैं, जो उनकी विचारधारा के समर्थक हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि मोहन भागवत इस मुल्क में रहने का अधिकार उनको देते हैं, जो अरब, वेटिकन और यरुशलम से न आए हों। मतलब साफ है कि मोहन भागवत जिस संगठन आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके चिंतक हमेशा यह कहते आए हैं कि यह देश उन्हीं लोगों का है, जो इस देश के वास्तविक निवासी हैं और कहीं बाहर से नहीं आए हों। इस नए इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कोई ऐसी बात नहीं की है जो पहले न कही हो।

इस इंटरव्यू में मोहन भागवत ने एक बात और कही है कि हिंदुत्व का वैश्विक दृष्टिकोण क्या है? क्या हिंदुओं ने कभी ऐसा कहा है कि सबको हिंदू धर्म ही मानना होगा? अगर मोहन भागवत की बातों पर विचार किया जाए, तो उनके बयान में कई विसंगतियां सामने आती हैं। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि मुसलमान, ईसाई आदि धर्मों के कट्टर लोग सबसे कहते हैं कि हमारी राह पर चलो, लेकिन हिंदू ऐसा कभी नहीं कहता कि सबको हिंदू धर्म मानना ही होगा। लोग मोहन भागवत के बयान को क्या समझें कि इस देश का हर नागरिक हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है? क्या लोग यह नहीं जानते कि घर वापसी का अभियान आरएसएस का अभियान है। क्या यह घर वापसी का अभियान दूसरों के धर्मांतरण का अभियान नहीं है? यह जो झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। वह सफेद झूठ है। ऐसा झूठ जो इस देश में नफरत की लहर को और गहरा कर सकता है। अगर यह बयान भागवत की बजाय किसी और ने दिया होता, तो उस पर मुकदमा कर दिया गया होता। क्या यह साफ शब्दों में धमकी नहीं है कि हम युद्ध की हालत में हैं? भागवत का यह इंटरव्यू लोकतंत्र और सेक्युलर कहलाने वाले इस देश के संविधान के मूल्यों की न तो पैरवी करता है और न ही उन्होंने यह बयान देते समय अन्य धर्मों को मानने वालों की भावनाओं को ही ध्यान में रखा है।

समान नागरिक संहिता के लिए गठित कमेटियों के खिलाफ याचिका रद्द

इंकलाब (10 जनवरी) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के कारण देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रयास को प्रोत्साहन मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गठित कमेटियों को संविधान की भावना के खिलाफ मानने से इंकार करते हुए याचिकाओं को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि राज्यों को इस बात का अधिकार है कि वे ऐसी कमेटियां गठित करें। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत इस तरह की समितियां गठित करने का अधिकार राज्यों को है। इसलिए इनके खिलाफ दायर जनहित याचिका इस योग्य नहीं है कि इस पर विचार किया जा सके।

गौरतलब है कि अनूप बरनवाल और कुछ अन्य लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि समान नागरिक संहिता केंद्र का विषय है और इस पर कमेटी बनाने या इसे लागू करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने इस याचिका को दायर करने पर भी हैरानी प्रकट की है।

गौरतलब है कि भाजपा ने नई रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बजाय उत्तराखंड और गुजरात में इस दिशा में पहल करने के लिए कमेटियों का गठन किया था। गुजरात में भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा से पूर्व अक्टूबर महीने में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इसी तरह से उत्तराखंड सरकार ने भी चुनावों से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसमें गलत क्या है? इस तरह की कमेटियों के गठन को संविधान के विपरीत बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा था कि इन राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत कम है। इसलिए वहां पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का वायदा एक चुनावी हथकंडा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा था कि कानून के छात्र को भी यह पता है कि जब तक संसद कानून में संशोधन नहीं करती, तब तक कोई भी राज्य समान नागरिक संहिता को लागू नहीं कर सकती। हालांकि, भाजपा का जोर

इस बात पर था कि समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य भी इसे लागू कर सकती है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि हिंदुस्तान में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश की जाएगी। इससे यह संकेत मिलता है कि समान नागरिक संहिता केंद्र का विषय है। मगर मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को संविधान की सातवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 का हवाला देते हुए कहा है कि विवाह, तलाक, विरासत आदि मामले भी समवर्ती सूची में शामिल हैं और राज्यों को इन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है। बशर्ते कि वे केंद्र के कानून से टक्कर न लें।

समचारपत्र ने लिखा है कि समान नागरिक संहिता पर भाजपा के कई सहयोगी दल भी उसके खिलाफ हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा के साथ गठबंधन के दौरान भी इसका विरोध किया था। ताजा विरोध मेघायल के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने किया है, जोकि भाजपा के सहयोगी हैं। मेघायल में विधानसभा के चुनाव से पूर्व कोनराड संगमा ने यह स्पष्ट कहा है कि मेरा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। नेशनल पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि, इसका मेघायल के जनजाति लोगों के जनजीवन और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सालार (13 अक्टूबर) के अनुसार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का जो वायदा किया था वह पूरा कर दिया है। अब समान नागरिक संहिता की बारी है। इस पर काम जारी है। मैं वायदा इसलिए नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में नेताओं ने बहुत वायदे किए हैं। अगर वे पूरे हो जाते तो साख का संकट उत्पन्न नहीं होता।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि क्या देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का रास्ता खुल गया है? यह सवाल सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद उठ रहा है। लोगों को याद होगा कि उत्तराखंड और गुजरात में चुनाव से पूर्व भाजपा की सरकारों ने यह घोषणा की थी कि वे अपने-अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे और इस उद्देश्य से दोनों राज्यों में कमेटियां बनाई गई थीं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी। अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों पर लागू होगा। इस समय इस देश में विभिन्न धर्मों के अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं, जिन पर अमल किया जाता है। मुसलमानों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद एक बड़े वर्ग का यह मानना है कि समान नागरिक संहिता के गठन के लिए बनाई गई कमेटियों को मान्यता देने का मतलब ही यही है कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। अभी तक भाजपा हिंदू-मुस्लिम के मुद्दे को उठाकर चुनाव जीतती आ रही है। अब समान नागरिक संहिता को भी सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। अगर समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाता है, तो उसका सीधा मतलब यह होगा कि मुसलमानों के ईमान में हस्तक्षेप किया जा रहा है और उन्हें जानबूझकर अपने धार्मिक मूल्यों का अनुसरण करने से रोका जा रहा है। इसलिए यह निश्चित बनाना होगा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर किसी भी धर्म या मजहब के मानने वालों के धार्मिक मूल्यों से खिलवाड न किया जाए और संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का अनुसरण करने का जो अधिकार दिया है, उसका सम्मान किया जाए।

लक्षद्वीप के सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द

रोजनामा सहारा (15 जनवरी) के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में हाल ही में दोषी ठहराए गए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को रद्द कर दिया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार फैजल को एक सेशन कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया था। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। इस अदालती फैसले के बाद वे अब लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि लक्षद्वीप की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में दोषी पाए जाने के बाद फैजल सहित चार लोगों को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई थी और इन सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.एम. सईद के दामाद मोहम्मद सालिह की हत्या की कोशिश करने का आरोप था।

सर्वोच्च न्यायालय में धर्मांतरण कानून को चुनौती

इंकलाब (7 जनवरी) के अनुसार देश के पांच राज्यों में धर्मांतरण से संबंधित कानून की संवैधानिक स्थिति को जमीयत उलेमा ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि यह कानून अंतर-धार्मिक विवाह करने वालों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। इससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। जमीयत उलेमा की ओर से दायर जनहित याचिका को वरिष्ठ वकील ऐजाज मकबूल ने तैयार किया है।

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा के कानूनी सहायता कमेटी के प्रमुख गुलजार आजमी की ओर से यह याचिका दायर की गई है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में धर्मांतरण कानून की संवैधानिक स्थिति को चुनौती देते हुए कहा गया है कि इन कानूनों का लक्ष्य अंतर-धार्मिक शादियों को रोकना है और इससे भारतीय संविधान में लोगों को दी गई धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए धर्मांतरण कानून की धारा 10 पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और कहा था कि इस कानून के तहत धर्मांतरण के लिए 60 दिन पूर्व जिलाधिकारी से

पूर्वानुमति लेने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता और न ही इसका उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धर्मांतरण के सभी मामलों को अवैध करार नहीं दिया जा सकता।

जमीयत उलेमा की याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा पारित इन कानूनों में संविधान द्वारा दी गई धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया गया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करके राज्यों को ऐसे कानून बनाने से रोकना चाहिए और जिन राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि ये कानून इसलिए बनाए गए हैं, ताकि अंतर-धार्मिक विवाह को रोका जा सके। इन कानूनों की आड़ में बड़ी संख्या में मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यह सिलसिला अब भी जारी है।

इस कानून में कहा गया है कि धर्मांतरण करने वालों के रिश्तेदार भी पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके कारण एक विशेष धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकना बहुत जरूरी है। जमीयत उलेमा की इस याचिका में संविधान की धारा 19 और 20 के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि जिलाधिकारी से धर्मांतरण के लिए पूर्वानुमति लेना भी गलत है।

इंकलाब (3 जनवरी) के अनुसार पिछले महीने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज तीन मुकदमों का उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने नोटिस लिया है और उपायुक्त से इस संबंध में पूरा विवरण मांगा है। बिजनौर के थाना बढ़ापुर में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि हिंदू और सिख धर्म के मानने वालों को डरा धमकाकर ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव डाला गया और जब उन्होंने धर्मांतरण करने से इंकार कर दिया, तो उनके साथ मारपीट की गई। गुरप्रीत सिंह नामक व्यक्ति की जबरन पगड़ी उतारकर उसके बाल उखाड़े गए, और ईसाई धर्म न मानने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। बिजनौर पुलिस के अनुसार धर्मांतरण कानून के तहत मनोज कुमार नामक एक पादरी सहित दस व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर अभी तक सिर्फ दो व्यक्तियों को ही गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने कहा है कि इस मामले में पुलिस द्वारा ढ़िलाई बरती जा रही है। जबरन धर्मांतरण कराने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि राज्य का वातावरण खराब न हो।

सियासत (10 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि धर्मांतरण का मामला बेहद संवेदनशील बनता जा रहा है। क्योंकि, इसके जरिए कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक दलों द्वारा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। हालांकि, जहां तक धर्म का मामला है। यह व्यक्तिगत मामला है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी और पसंद के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है। मगर देश के कुछ सांप्रदायिक तत्व इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वे इस मामले को तोड़मरोडकर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सही है कि किसी को भी जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी को लालच या दबाव के तहत धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करना भारत में कानूनन जुर्म है। राज्यों को भी इस संदर्भ में कानून बनाते समय बहुत सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है, ताकि इस कानून की आड़ में लोगों को अनुचित रूप से परेशान न किया जा सके।

मुसलमानों के साथ भेदभाव की खबरों का खंडन

इंकलाब (8 जनवरी) के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार एम.जे. अकबर ने इंकलाब के संपादक वदूद साजिद को इंटरव्यू देते हुए इस बात का खंडन किया है कि मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के दो कर्तव्य होते हैं। पहला, गरीबों का ख्याल रखना और दूसरा, शांति स्थापित करना। बाकी तो राजनीति है। मैं आपसे दावे के साथ यह कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने किसी भी मुसलमान के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया।

जब अकबर से इस संबंध में उदाहरण पेश करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जन धन योजना, मुफ्त गैस कनेक्शन योजना, मुफ्त राशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है, जिसमें किसी के साथ धार्मिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव किया गया हो। ये सारी योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई थीं और इन्हें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए ही शुरू किया गया था। हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर आंकड़े यह बताते हैं कि मुसलमान इस देश में सबसे ज्यादा गरीब है। इसलिए इन योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों ने ही उठाया है। कोई एक ऐसी घटना पेश नहीं की जा सकती, जिसमें इन योजनाओं को लागू करने और उससे लाभ उठाने में किसी मुसलमान के साथ किसी तरह का भेदभाव किया गया हो।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि जहां तक शांति की बात है, मोदी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। अगर छोटी मोटी घटनाएं हुई भी हों, तो उसमें सरकार ने कार्रवाई भी की है। लेकिन कहीं ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ, जिसमें मुसलमानों के साथ एकपक्षीय कार्रवाई की गई हो। हालांकि, मैं यह नहीं कहता कि इससे सभी लोग संतुष्ट हैं, भिन्न आवाजें उठती हैं। बड़ा देश है। भिन्न-भिन्न ख्यालों के लोग और संगठन हैं। लेकिन मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री को सामने रखकर अपना विश्लेषण किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी को बिना भेदभाव के गरीबी के चंगुल से बाहर निकालना चाहते हैं।

अकबर ने इंकलाब के संपादक से कहा कि अब मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेन्द्र मोदी तक सिर्फ 15 वर्ष भाजपा सत्ता में रही। लेकिन साठ वर्ष तक तो सत्ता में ऐसे लोग रहे, जिन्हें मुसलमान अपने वोट देते रहे। उनके शासनकाल में मुसलमानों की गरीबी क्यों दूर नहीं हुई? आखिर यह सवाल उनसे क्यों नहीं किया जाता? क्यों मुसलमान अपने आपसे नहीं पूछते कि साठ वर्ष में हमने जो सरकारें बनाईं और जिनको हमने अपने वोट दिए, उन्होंने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया? सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की ही बात करें, तो वहां पर सबके हालात बदले हैं। लेकिन, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर क्यों हुई है? मोटे तौर पर यही दो राज्य ऐसे हैं, जहां लोगों ने भावना में आकर एक पार्टी को वोट दिए।

मगर उन्होंने मुसलमानों के हितों को नजरअंदाज किया।

साजिद ने पूछा कि अब आपके अनुसार मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इस पर अकबर ने कहा कि मुसलमानों का ध्यान उनके भविष्य पर होना चाहिए। अगर कोई सरकार गरीबों को एक ही नजर से देखती है और धार्मिक आधार पर उनसे भेदभाव नहीं करती, तो उसका अंजाम बुरा नहीं, बल्कि अच्छा ही होगा। लोकतंत्र में किसी को दबाव में नहीं लिया जा सकता। लोग अपनी मर्जी से वोट देंगे और यही होना भी चाहिए। जो आपको अच्छा लगे उसी को वोट दीजिए। मैं यह चाहता हूं कि शासन और प्रशासन में मुसलमानों को न्याय मिले और वर्तमान प्रशासन इस कसौटी पर खरा उतरा है।

साजिद ने अकबर से पूछा कि आप शांति की बात करते हैं, मगर इस शासनकाल में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई हैं, उन पर आपका क्या कहना है? अकबर ने कहा कि हां, छोटी-मोटी घटनाएं तो हुई हैं। मगर जब दूसरी पार्टियां सत्ता में थीं, तो क्या ऐसी घटनाएं नहीं हुईं? क्या दंगे नहीं हुए? डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग से लोग मरे। चाकूबाजी और बमों से मरे। आतंकवाद के शिकार हुए। यह गलत है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। मगर अगर वर्तमान शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उसकी निंदा करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमें अपने कानून को मजबूत बनाना चाहिए और ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

इंकलाब के संपादक ने अकबर से पूछा कि प्रधानमंत्री ने पसमांदा मुसलमानों का सवाल उठाया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब मुसलमान भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं? इस पर अकबर ने कहा कि मेरे पास हालांकि, आंकड़े नहीं हैं और इस सवाल का जवाब देने के लिए सर्वे के आंकड़े होने बहुत जरूरी हैं। मगर मेरा यह कहना है कि भाजपा को गुजरात में जैसी अभूतपूर्व कामयाबी मिली है, वह सिर्फ एक धर्म के मानने वालों के वोट से संभव नहीं हो सकती। मुसलमानों में एकतरफा वोट डालने का रूझान खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री के बारे में लोगों की राय में परिवर्तन आया है।

जब साजिद ने अकबर से यह पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि स्वयं मुसलमानों के बारे में प्रधानमंत्री का रूख अलग है? क्या इस सरकार को मुस्लिम मुक्त नहीं कर दिया गया है? अब न भाजपा का कोई मुसलमान सांसद संसद में है और न ही मंत्रिमंडल में ही कोई मुसलमान मंत्री है? क्या यह सिर्फ स्वाभाविक है? इस पर अकबर ने जवाब दिया कि अगर मुसलमानों को मंत्री बनाने से कौम को कोई फायदा होता, तो पिछले साठ वर्षों में कितने ही मुसलमान मंत्री बने, लेकिन मुसलमान लगातार पिछड़ते रहे। ऐसे मंत्रियों का क्या फायदा जो कौम के नाम पर स्वयं तो मोटे हो गए, लेकिन कौम को दुबला रखा। अकबर ने कहा कि क्या पुराने शासनतंत्र से मुसलमान तंग नहीं आ चुके थे? अब यह देखना पड़ेगा कि सरकार जिस काम के लिए बनी है, वह काम हो रहा है या नहीं। हमें हुकूमत चाहिए रोटी के लिए, नौकरी के लिए, अमन के लिए। अगर हम इस दृष्टि से बही-खाता लेकर बैठें और हिसाब करें, तो यह सरकार हमें असफल नहीं बल्कि सफल नजर आएगी। मैं मुसलमानों के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं। 90 के दशक के बाद मुसलमानों ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। खासतौर पर मुसलमानों ने लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया है। यही शिक्षा की क्रांति उन्हें उपर उठाएगी। पढ़े-लिखे मुसलमानों को प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनियों में नए-नए रोजगार मिल रहे हैं। नौकरियों में कम्युनलिज्म नहीं कैपिटलिज्म चलता है।

इंकलाब के संपादक ने अकबर से पूछा कि इस सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रवृत्तियों

को बंद कर दिया है। क्या मुसलमानों में इससे सरकार के प्रति नकारात्मक संदेश नहीं जाएगा? अकबर ने कहा कि मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि छात्रवृत्तियों का आधार धर्म नहीं होना चाहिए। बल्कि इसका आधार आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। पिछड़े हुए लोगों को आर्थिक तौर पर उन्नत बनाने का यही तरीका है। समाज कल्याण की कई योजनाओं का लाभ सिर्फ क्रिमी लेयर को होता है। अब यह रूझान बदल रहा है।

साजिद ने अकबर से प्रश्न किया कि आपके उत्तर से मुझे यह आभास हुआ है कि आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ही विश्वसनीय मानते हैं। अगर मुसलमानों के नेता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मोदी से संपर्क करें, तो क्या इसका नतीजा सकारात्मक होगा? अकबर ने कहा कि मुसलमान नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। वे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मुसलमान नेता उनसे मिलते हैं, तो उससे निश्चित रूप से मुसलमानों को लाभ होगा। आप उनसे अपनी बात कहेंगे और वे आपकी बात सुनेंगे। इस तरह से आपसी खाई समाप्त होगी।

अकबर ने कहा कि मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से मुसलमानों को बड़ी नाराजगी थी। मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया। मैं भी उनमें शामिल था। हम सब कौम की बात करने के लिए गए थे। मगर हमने अपने व्यक्तिगत कामों की फाइलें उन्हें थमा दी। लोग जाते तो कौम के काम के लिए हैं और करवाते अपना काम है। यह खुली सौदेबाजी है।

अकबर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में अरब देशों के साथ हमारे संबंधों में बहुत सुधार हुआ है। इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं। क्या कोई सोच सकता था कि पूर्वोत्तर भारत से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई होगी? दोनों देशों के बीच आवागमन की हालत में भी सुधार हुआ है। आपसी तनाव खत्म हो गया है और विश्वास का नया वातावरण बना है। इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है और मेरे प्रयास से 51 वर्षों के बाद ओआईसी के मंच से तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भाषण देने का अवसर मिला था। मगर अफसोस की बात है कि अभी यह सिलसिला बंद है।

विश्व

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में तनाव

पाकिस्तान के उर्दू अखबार **जंग** (9 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान में हाल ही में जो आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि हुई है, उसके लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान आतंकवादियों को शरण दे रहा है। गौरतलब है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान सरकार के साथ हुए युद्ध विराम समझौते को समाप्त करने और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हमले तेज करने की घोषणा की है।

इंकलाब (11 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने देश भर में आतंकी संगठनों के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ने का फैसला किया है और इस संबंध में सेना एवं सुरक्षा संगठनों को आतंकवाद उन्मूलन अभियान को तेज करने का निर्देश दिया है।

रोजनामा सहारा (15 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में हुए आतंकी हमले में तीन पुलिसकर्मी मारे गए। इनमें एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) भी शामिल हैं। 'ऑपरेशन काशिफ' के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आफताब अब्बासी ने संवाददाताओं को बताया कि आतंकवादियों ने पेशावर के सरबंद पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। इस हमले में तीन पुलिसकर्मी मारे गए। उन्होंने कहा कि आक्रमणकारी अत्याधुनिक हथियारों से लैश थे और उन्होंने पूर्वनियोजित तरीके से थाने पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि आतंकियों की तलाश करने का काम तेज कर दिया गया है।

इंकलाब (7 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने वजीरिस्तान के शहर वाना में आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान शुरू किया था, उसमें कम-से-कम 12 आतंकी मारे गए, जिनमें उनका कमांडर हफीजुल्लाह भी शामिल है। सेना ने आतंकियों के अड्डे से भारी मात्रा में अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र बरामद किए हैं।

रोजनामा सहारा (8 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तानी संसद पर हमले की धमकी देने वाले

दो आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल डॉ. अकबर नासिर खान ने कहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान में अशांति पैदा करके खून की होली खेलना चाहते हैं।

सियासत (5 जनवरी) के अनुसार अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ मंत्री उत्तेजक और बेबुनियाद बयान देकर इन संबंधों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। इससे पूर्व, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर यह आरोप लगाया था कि वह अपने देश में आतंकवादियों को शरण न दे, वरना पाकिस्तान को इस संदर्भ में सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बयान दिया था कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान में निरंतर आतंकवाद को फैलाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, तालिबान ने दोहा समझौते में यह आश्वासन दिया था कि वे आतंकवाद के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ ने अफगान सरकार के इस दावे का खंडन किया अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को संरक्षण नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद की ज्वाला भड़काने के लिए आतंकवादी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुस रहे हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान की ओर से आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और पाकिस्तानी जनता को आतंकवाद की इन घटनाओं के कारण भारी क्षति उठानी पड़ी है। जब उनसे एक संवाददाता ने पूछा कि क्या यह सच है कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवाद की ज्वाला को भड़काने के लिए हो रहा है? क्या ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है? इसके जवाब में अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह का कदम उठाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और हाल ही में पाकिस्तान की सुरक्षा कमेटी ने इस संदर्भ में जो बयान दिया है, उससे हम सहमति प्रकट करते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 जनवरी) के अनुसार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को जान से मारने की धमकी देने की अमेरिकी सरकार ने निंदा की है। अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मांग की है कि उसने जो आश्वासन दिया था कि उसकी भूमि का इस्तेमाल आतंकवादियों को शरण देने के लिए नहीं किया जाएगा, उस वायदे को पूरा किया जाए और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इंकलाब (2 जनवरी) के अनुसार इस्लामाबाद स्थित अफगानिस्तान के दूतावास ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि पाकिस्तानी जेलों में बंद अफगान नागरिकों को तत्काल रिहा किया जाए। अफगान दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने यह वायदा किया था कि पाकिस्तान की जेलों में जो अफगान नागरिक बंद हैं, उन्हें तत्काल रिहा किया जाएगा। मगर अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान में अवैध रूप से दाखिल होने के आरोप में पकड़े गए सैकड़ों अफगान नागरिक पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं।

इंकलाब (13 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने यह घोषणा की है कि इस

समय जो अफगान नागरिक अवैध रूप से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें निष्कासित करके अफगानिस्तान वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इस समय 14 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षाबलों को इस बात के कड़े निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तान में अवैध रूप से घुसने वाले अफगान शरणार्थियों के प्रवेश को रोका जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति

अवधनामा (8 जनवरी) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। पिछले एक वर्ष में 39 अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुईं। इनमें से 27 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और 14 महिलाओं को बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उनमें हिंदू और आदिवासी शामिल हैं। बांग्लादेश राष्ट्रीय हिंदू महाजोत ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह दावा किया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। संगठन के महासचिव गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पिछले एक वर्ष में 424 अल्पसंख्यकों की हत्या की गई और 62 लोग लापता हो गए। 849 लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। 953 लोगों पर हमले किए गए और 360 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया।

विभिन्न थानों में दर्ज रिपोर्टों के अनुसार पिछले वर्ष 53 अल्पसंख्यकों को हिंसा का निशाना बनाया गया और 127 व्यक्तियों का अपहरण किया गया। बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से तंग आकर 445 अल्पसंख्यक परिवारों को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उनकी एक लाख एकड़ भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया। 3694 लोगों के मकानों पर कब्जा करके उन्हें बेदखल किया गया।

प्रमाणिक ने यह आरोप लगाया कि आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल करने की धमकियां दी गई हैं। जिन लोगों को बेदखल करने की धमकी दी गई है, उनकी संख्या 35 हजार से भी अधिक है और उनकी 6500 एकड़ भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में हिंदुओं की 2500 एकड़ भूमि पर जबरन कब्जा हुआ है और 15 हजार अल्पसंख्यक परिवारों को बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश में 51 मंदिरों की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है। 128 मंदिरों पर हमला करके वहां तोड़फोड़ की गई है। 72 मंदिरों की मूर्तियों को चुरा लिया गया है।

उन्होंने दावा किया है कि अभी तक अल्पसंख्यकों को दो अरब 20 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

यह रिपोर्ट जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक बांग्लादेश के विभिन्न मीडिया में प्रकाशित समाचारों और अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। इस अवधि में 152 लोगों को धर्मांतरण पर विवश किया गया। 179 धार्मिक स्थानों में तोड़फोड़ की गई और 129 धार्मिक समारोह में रूकावट डालने के मुकदमें विभिन्न थानों में दर्ज हुए। बांग्लादेश की राष्ट्रीय हिंदू महाजोत ने संवाददाता सम्मेलन में यह आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र की भावना का दिन-प्रतिदिन ह्रास हो रहा है और देश में असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा का वातावरण बनाया जा रहा है।

संगठन ने दावा किया कि विभिन्न थानों में धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के 127 केस एक वर्ष में दर्ज हुए हैं और 791 अल्पसंख्यकों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश भले ही आजाद हो गया हो। मगर वहां की हिंदू जनता को अभी तक आजादी नहीं मिली है। उन्होंने यह मांग की है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न रोका जाए और बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद में अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित सीटों का पुनर्निधारण किया जाए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया जाए और बंगलादेश में उपराष्ट्रपति एवं उप प्रधानमंत्री के पद अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित किए जाएं।

अमेरिका में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान

सियासत (7 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी सरकार ने देश में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि जो लोग वैध रूप से अमेरिका में आना चाहते हैं, उनके लिए नीति को उदार बनाया जा रहा है। इस समय जो विदेशी नागरिक देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके निष्कासन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जा रहा है और उन्हें अगले पांच वर्ष तक देश में पुनः दाखिल होने की अनुमति नहीं होगी।

व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि देश में इमीग्रेशन की प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है, इसलिए अमेरिका के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंध कड़े किए जा रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका की दक्षिणी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को कड़े करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सरकार अपने देश में अवैध रूप से घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त और कारगर कदम उठाएगी।

चीनी कंपनियों द्वारा बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट

हमारा समाज (8 जनवरी) के अनुसार चीनी कंपनियों द्वारा बलूचिस्तान में खनिज संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने कई चीनी कंपनियों को बलूचिस्तान में सोना, चांदी और तांबे की खदानों का ठेका दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी कंपनी मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को बलूचिस्तान से खनिज संपदा निकालने का ठेका दिया गया है। 2021 में उसे 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हुआ है। तांबे और सोने के भंडार को 1970 में पाकिस्तान की एक कंपनी ने तलाश की थी। मगर 1995 में इसे चीनी कंपनियों को दस वर्ष की लीज पर दे दिया गया। खास बात यह है कि एक ओर तो चीनी कंपनियां बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके बेतहाशा मुनाफा कमा रही हैं। दूसरी ओर, बलूचिस्तान के निवासियों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो रही है। स्थानीय निवासियों को चीनी कंपनियों ने मजदूर के तौर पर भर्ती करने से भी साफ इंकार कर दिया है और मजदूर भी चीन से लिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि चीनी कंपनियों की लीज से जो धनराशि प्राप्त हो रही है, उनमें से 53 प्रतिशत पर पाकिस्तान की केंद्र सरकार का हिस्सा है। जबकि, बलूचिस्तान सरकार को सिर्फ पांच प्रतिशत हिस्सा दिया जा रहा है।

बलूच लिब्रेशन फ्रंट ने दावा किया है कि पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट में यह दावा किया था कि चीनी कंपनियां बलूचिस्तान में मुफ्त बिजली और पानी का प्रबंध कर रही हैं। जबकि यह फ्रॉड है। डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चगाई नामक क्षेत्र से पत्रकार अकबर नोतजई ने बलूचों का इंटरव्यू करके यह दावा किया है कि बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों को खुले तौर पर लूटने का लाइसेंस पाकिस्तान सरकार ने चीन को दे दिया है। यही कारण है कि बलूचिस्तान के निवासियों का एक वर्ग आजाद बलूचिस्तान के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। जबकि चीनी दबाव में पाकिस्तान सरकार आजाद बलूचिस्तान की मांग करने वालों को सैनिक ताकत के बल पर दबा रही है।

काबुल में धमाका

सियासत (2 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैनिक हवाई अड्डे के बाहर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। विदेशी समाचार एजेंसियों के अनुसार अफगान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी तक्कुर ने हालांकि, इस धमाके की पुष्टि की है, परंतु उन्होंने इसका विस्तृत ब्यौरा देने से इंकार कर दिया है। कहा जाता है कि इस धमाके के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस धमाके के आरोपियों का पता लगाने के लिए खोजी अभियान तेज कर दिया है।

रोजनामा सहारा (2 जनवरी) के अनुसार हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया है। इस हमले में कम-से-कम दस लोग मारे गए हैं और 20 घायल हुए हैं। दो दिन पूर्व भी अफगानिस्तान में तीन स्थानों पर धमाके हुए थे, जिनमें दो दर्जन लोग मारे गए थे। खामा प्रेस के अनुसार यह धमाका एक सरकारी कार्यालय में हुआ। इससे पूर्व बदख्शान प्रांत में हुए एक धमाके में चार पुलिस अधिकारी मारे गए। हाल ही में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी हमला किया गया था, जिसे सुरक्षाबलों ने विफल बना दिया था। सरकार ने यह दावा किया था कि अफगान सैनिकों ने छह आतंकवादियों को गोली से उड़ा दिया है।

सियासत (12 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कम-से-कम 20 लोग मारे गए। एक घायल जमशेद करीमी ने एएफपी के संवाददाता को बताया कि कुछ आतंकवादियों ने विदेश मंत्रालय के दफ्तर में घुसने का प्रयास किया। ये आतंकवादी बारूद से भरे हुए जैकेट पहन रखे थे। इन्होंने आत्मघाती धमाका करके भवन को काफी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में चार आक्रमणकारी सहित 20 लोग मारे गए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जादरान ने इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया है।

ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा

इत्तेमाद (15 जनवरी) के अनुसार ईरान सरकार ने ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री अली रजा अकबरी को ब्रिटेन के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया है। ईरान सरकार ने दावा किया है कि कुछ देशों ने दबाव डाला था कि इस जासूस को फांसी न दी जाए। मगर देशहित में विदेशी दबाव को नजरअंदाज कर दिया गया है। जिस व्यक्ति को फांसी दी गई है, उनकी दोहरी नागरिकता थी। उन्हें ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति का नजदीकी माना जाता है। ईरानी न्यूज एजेंसी के अनुसार शुक्रवार की सुबह ईरानी मूल के ब्रिटिश नागरिक अली रजा अकबरी को एक अज्ञात स्थान पर फांसी पर लटका दिया गया है। उन पर ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के लिए जासूसी का आरोप था, जिसकी अदालत में पुष्टि हुई थी।

सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि अकबरी ने विदेशी गुप्तचर एजेंसियों को जो जानकारी उपलब्ध कराई थी, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भारी क्षति पहुंची है। संवाद समिति ने दावा किया है कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने अकबरी को बचाने के लिए ईरान सरकार पर दबाव डाला था, उससे साफ है कि वे ब्रिटेन के लिए कितने महत्त्वपूर्ण थे। उन्हें ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी एमआई-6 ने प्रशिक्षित किया था और ईरानी गुप्तचर सेवाओं को विफल बनाने के लिए उन्होंने कई फर्जी कंपनियां भी बनाई थी। अकबरी ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य कई देशों में ब्रिटिश गुप्तचरों से मिलते रहे और उन्हें ईरान के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते रहे। अपने देश से दगाबाजी करने के ईनाम के तौर पर ब्रिटेन ने उन्हें नागरिकता भी प्रदान की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि यह एक बर्बर सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, जिसे अपने नागरिकों के अधिकारों की कोई परवाह नहीं है। यह एक बुजदिल कार्रवाई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भी अकबरी को फांसी देने की निंदा की है।

इत्तेमाद (12 जनवरी) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि विदेशी शक्तियां ईरान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। मगर पहले की तरह इस बार भी ईरान के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक लोकतंत्र ईरान के दुश्मन हमारे देश को इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और यमन की तरह बर्बाद करना चाहते हैं। मगर हम उनके सपनों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। ईरान की जागरूक जनता ने दुश्मनों के इरादों पर पानी फेर दिया है।

इजरायल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव

इंकलाब (2 जनवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायली कब्जे की निंदा की है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 87 देशों ने मतदान किया, जबकि 26 ने इसका विरोध किया और 53 ने मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने यहूदी सरकार द्वारा फिलिस्तीनियों के उत्पीड़न का विरोध करने वाले देशों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस प्रस्ताव से अतिवादी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने नापाक इरादों पर पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि इजरायल और उसके समर्थक देशों ने विश्व के अनेक देशों पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन न करें, मगर वे इस दबाव के आगे नहीं झुके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अपील की है कि वह फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली कब्जे पर कानूनी राय दे। फिलिस्तीन ने इस अपील का स्वागत किया है। संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार इस प्रस्ताव की वजह से इजरायल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए परेशानी होगी। उनके गठबंधन में वे अतिवादी संगठन भी शामिल हैं, जोकि वेस्ट बैंक के क्षेत्रों को इजरायल में विलय करने के पक्ष में हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से कहा है कि वह इजरायल के फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे, पवित्र नगर यरुशलम की हैसियत आदि के बारे में कानूनी सलाह दे। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास इस बात की कोई शक्ति नहीं है कि वह अपने फैसले को किसी सरकार पर लागू करवा सके। उल्लेखनीय है कि इजरायल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम पर 1967 के युद्ध के दौरान कब्जा किया था। इससे पहले ये क्षेत्र फिलिस्तीन के हिस्से थे। 2014 में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए वार्तालाप शुरू हुआ था, जो विफल रहा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है

कि अब समय आ गया है कि इजरायल को कटघरे में लाया जाए और फिलिस्तीन के लोगों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके लिए उसे दोषी ठहराया जाए। इजरायली राजदूत ने इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव सरासर गलत है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को इस मामले में राय देने का कोई अधिकार नहीं है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा इजरायल के बारे में सैकड़ों प्रस्ताव पारित कर चुकी है और हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि, यह प्रस्ताव तथ्यों पर आधारित नहीं है। फिलिस्तीन यहूदियों का देश है। इसलिए उसे अपनी ही जमीन पर कब्जा करने के लिए दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? उन्होंने कहा है कि यरुशलम को इजरायल की राजधानी बनाने के अपने फैसले पर हम अड़िग हैं और हमें किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून की कोई परवाह नहीं है। हम सच के लिए अपनी जंग जारी रखेंगे।

सऊदी युवराज अरब जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित

मुंबई उर्दू न्यूज (12 जनवरी) के अनुसार रूसी टेलीविजन ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को अरब जगत की सबसे शक्तिशाली हस्ती घोषित किया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रूस के अरबी भाषा में प्रसारित होने वाले टीवी चैनल 'रसिया टुडे' ने इस संदर्भ में एक सर्वे कराया था, जिसमें सऊदी युवराज को अरब जगत की सबसे शक्तिशाली हस्ती का दर्जा प्राप्त हुआ है। रूसी टीवी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल-नाहयान को अरब जगत की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत करार दिया गया है।

इस सर्वे में एक करोड़ 18 लाख 77 हजार 546 लोगों की राय ली गई थी। जबकि, सऊदी युवराज को 73 लाख 99 हजार 451 वोट प्राप्त हुए। सर्वे में भाग लेने वाले 62 प्रतिशत लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान का समर्थन किया। जबकि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद अल-नाहयान के पक्ष में 29 लाख 50 हजार 543 वोट प्राप्त हुए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को अरब जगत की तीसरी सबसे शक्तिशाली हस्ती घोषित किया गया है।

सूडानी सेना की राजनीति में भाग न लेने की घोषणा

अवधनामा (10 जनवरी) के अनुसार सूडानी सेना के प्रमुख अब्देल फतह अल-बुरहान ने घोषणा की है कि सेना राजनीति के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी और देश में जो चुनाव होंगे वह जननेताओं की निगरानी में होंगे। हम ऐसी नागरिक लोकतांत्रिक सरकार के सत्ता में आने की उम्मीद करते हैं, जो कि आजादी, अमन और इंसाफ की कसौटी के लिए सूडानी जनता की इच्छाओं पर पूरी उतरे। गत एक वर्ष से देश के नेताओं और सेना के बीच टकराव चल रहा था। इस टकराव को दूर करने के लिए वार्तालाप का जो सिलसिला शुरू किया गया था, वह सफल हो गया है।

गौरतलब है कि सूडान की जनता ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया था। इसके बाद 11 अप्रैल 2019 को 30 वर्ष के बाद उमर अल-बशीर सरकार का खात्मा हो गया था। इसके बाद सेना और नेताओं ने देश की सत्ता संभाल ली थी। मगर आपसी मतभेदों के कारण यह व्यवस्था अधिक दिनों तक टिक न सकी। सूडानी फौज ने 25 अक्टूबर 2021 को क्रांति करके देश की नागरिक सरकार का तख्ता पलट दिया था और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया था और प्रधानमंत्री सहित सैकड़ों नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। कुछ समय बाद जनता ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला तेज कर दिया। सेना ने सख्ती से नागरिकों को दबाने का प्रयास किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद नेताओं और सेना के बीच समझौते के लिए वार्ता शुरू की गई थी। इसके बातचीत के परिणामस्वरूप अब सेना ने चुनावों में तटस्थ रहने की घोषणा की है।

दमिश्क हवाई अड्डे पर इजरायली हमला

अवधनामा (3 जनवरी) के अनुसार इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए। इनमें दो सैनिक भी शामिल थे। इसके बाद हवाई अड्डे को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। इससे पूर्व भी दो बार इजरायल इस हवाई अड्डे पर हमला कर चुका है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी 'साना' के अनुसार यह हमला रात दो बजे किया गया और इससे हवाई अड्डे को भारी क्षति पहुंची है। इस हमले में हवाई अड्डे और उसके समीप स्थित अस्त्र-शस्त्रों के भंडार को निशाना बनाया गया।

गौरतलब है कि गत वर्ष 10 जून को भी इजरायली हमले के बाद दमिश्क हवाई अड्डे को बंद किया गया था। इजरायल सीरिया के विभिन्न हवाई अड्डों को निरंतर अपना निशाना बना रहा है और वह सीरिया पर अनेक बार हमला कर चुका है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने यह हमला ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया है। क्योंकि, हिजबुल्लाह इजरायल पर निरंतर हमले कर रहा है और इन हमलों के कारण काफी इजरायली नागरिक मारे गए हैं।

गौरतलब है कि सीरिया में गत 11 वर्षों से गृहयुद्ध जारी है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को ईरान का समर्थन प्राप्त है। जबकि इजरायल अपनी पूर्वी सीमा पर ईरानी सेना की मौजूदगी को अपने लिए खतरा बताता है। सीरिया के राष्ट्रपति ने यह कभी स्वीकार नहीं किया है कि ईरान की सेना उनकी सहायता कर रही है।

अन्य

ट्यूनीशिया में आतंकवाद के आरोप में महिलाओं को सजा

इंकलाब (14 जनवरी) के अनुसार ट्यूनीशिया की एक अदालत ने आतंकवादी संगठन बनाने और तत्कालीन गृहमंत्री हेदी मजदौ की हत्या करने की साजिश के आरोप में नौ महिलाओं को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। यह आतंकवादी संगठन महिलाओं ने ही बनाया था। जबकि सात अन्य महिलाओं को तीन से 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। बताया जाता है कि इस आतंकवादी संगठन का संबंध अलकायदा और उसके सहायक संगठन अल-शबाब से था, जोकि ट्यूनीशिया सरकार का तख्ता पलटना चाहता था।

यूरोपीय यूनियन में सऊदी अरब की महिला राजदूत नियुक्त

रोजनामा सहारा (15 जनवरी) के अनुसार यूरोपीय यूनियन की परमाणु शक्ति में एक महिला हाइफा अल-जेदिया को सऊदी मिशन का प्रमुख नियुक्त किया है। हाइफा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पीएचडी की है और उन्होंने पत्रकारिता में भी एक विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री ली है। इससे पूर्व वह अमेरिका स्थित सऊदी दूतावास में गत कई वर्षों से महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त थीं। नया पदभार संभालने से पूर्व हाइफा ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की।

दुबई में भारतीय नागरिक की ईमानदारी

सियासत (12 जनवरी) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले एक भारतीय नागरिक उपेंद्र नाथ चतुर्वेदी ने ईमानदारी की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्हें सड़क पर एक लाख 34 हजार 930 दिरहम की रकम मिली थी। जोकि उन्होंने पुलिस के हवाले कर दी। संयुक्त अरब अमीरात के पुलिस विभाग के निदेशक कर्नल उमर मोहम्मद बिन हम्माद ने ईमानदारी के लिए इस भारतीय नागरिक को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा है कि यह रकम उसके असली मालिक तक पहुंचा दी गई है।

मुस्लिम तलाकशुदा महिला को ताउम्र गुजारा भत्ता लेने का अधिकार

सियासत (6 जनवरी) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि तलाकशुदा महिला दोबारा शादी करने और न करने की हालत में भी आजीवन अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता वसूल कर सकती है। गौरतलब है कि शरिया में यह व्यवस्था है कि इद्दत की अवधि पूरी होने तक ही मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा पाने की हकदार है। इद्दत की अवधि आमतौर पर तीन महीने तक ही होती है। यह निर्णय उच्च न्यायालय ने जाहिदा खातून की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। इससे पूर्व गाजीपुर की फैमिली कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जाहिदा खातून तीन बार रजस्वला होने तक ही अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। उच्च न्यायालय ने जाहिदा के पूर्व पति को यह निर्देश दिया है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 5 हजार गुजारा भत्ता के तौर पर दे।

गौरतलब है कि जाहिदा खातून और नुरुल हक खान की शादी 21 मई 1989 को हुई थी। शादि के बाद उसके पति को सरकारी नौकरी मिल गई और वर्ष 2000 में उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर दोबारा शादी कर ली। गाजीपुर की जिला जज ने यह निर्णय सुनाया था कि इद्दत की अवधि यानि तीन महीने 13 दिन तक प्रतिमाह 1500 रुपये जाहिदा खातून को उसका पूर्व पति दे। इस फैसले को जाहिदा खातून ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

नेत्रहीनों के लिए कुरान ब्रेल लिपि में

सियासत (10 जनवरी) के अनुसार सऊदी सरकार ने मस्जिद-ए-नबवी के पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कुरान की 65 प्रतियां ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराई हैं। ब्रेल लिपि पर आधारित कुरान मजीद की पुस्तकों में इलेक्ट्रॉनिक आयतें होती हैं। कुरान की ये प्रतियां किंग फहद कम्प्लेक्स के आदेश पर विशेष रूप से विदेश में तैयार की गई हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

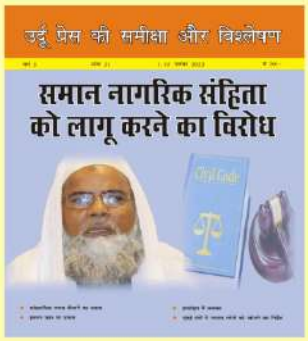

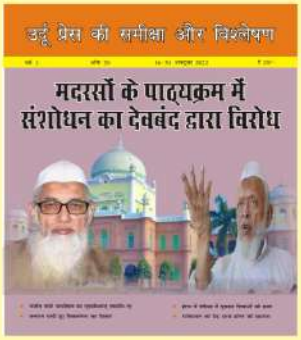

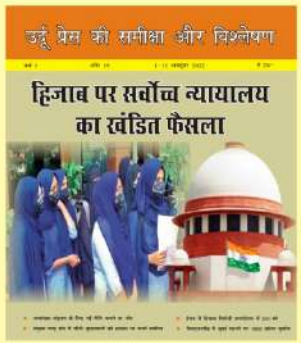

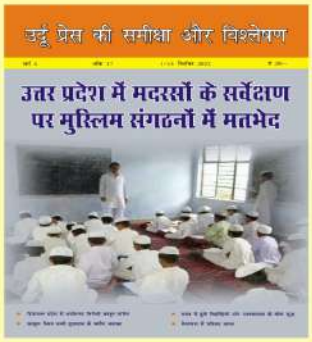

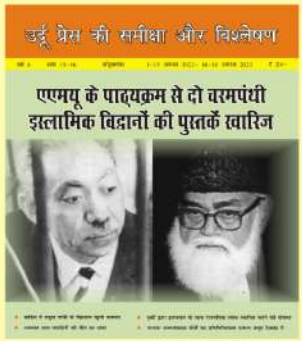

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in